राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/10 से 3/14

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में कार्यरत्त प्राचार्य एवं आहरण व वितरण अधिकारी की कार्य अवधि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	प्राचार्य का नाम	कार्यकाल अवधि
1	श्री सुभाष गुप्ता	01.04.10 से 31.03.11
2	डी0 वी0के0 शर्मा (कार्यवाहक)	01.04.11 से 01.06.11
3	श्री आर0पी0 चोपड़ा	02.06.11 से 26.08.13
4	श्री सतीश चन्द्र शर्मा	29.08.13 से 31.03.14

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	8	रसीदों द्वारा प्राप्त आय की राशि को निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज न करना	0.39
2	9	निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज फीस के रूप में प्राप्त आय की राशि में से सरकारी कोष में राशि का कम जमा करवाया जाना	0.16
3	10	श्रीमती गीता दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी को समिश्रित निधि से भुगतान करने बारे	0.69
4	11	समिश्रित निधि से कार्यालय के बिजली के बिलों व टेलीफोन बिलों के भुगतान हेतु अनाधिकृत रूप से ऋण दिए जाने बारे	3.12
5	12	समिश्रित निधि से अनाधिकृत रूप से राशि का ऋण दिया जाना तथा ऋण की राशि को विलम्ब से वसूलना	4.25

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः महाविद्यालय द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। गत प्रतिवेदनों के पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2010 से 3/2014 के निधि लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री तारा चन्द्र महन्त, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 2.6.2014 से 2.7.2014 के दौरान बिलासपुर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 6/2010, 6/2011, 6/2012, 6/2013 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 9/2010, 5/2011, 11/2012 तथा 10/2013 का चयन किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2010 से 3/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क हिमाचल प्रदेश सरकार की अधियाचना संख्या 459/92–फिन(एल0ए0)–1 दिनाँक 6 जुलाई 2001 के अनुसार ₹28000/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला–171009 को भेजने के लिए सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या ए0सी0 आडिट एल0ए0डी0 382 दिनाँक 2.7.2014 द्वारा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर से अनुरोध किया गया। महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त ₹28000/– भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिलासपुर से बैंक ड्राफ्ट संख्या 187788 दिनाँक 4.7.2014 द्वारा भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः—

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय के अवधि 4/2010 से 3/2014 के छात्र निधि लेखाओं की वित्तीय स्थिति इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट (क)** में दर्शाई है।

5 निवेशः—

(क) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा अवधि 31.3.14 तक समिश्रित निधि में से ₹12347824/— का विभिन्न बैंकों की सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है।

(ख) जाँच के दौरान यह पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त निवेशित राशि को रोकड़ बही के प्रारम्भिक व अन्तशेष में शामिल नहीं किया गया है जोकि अनियमित है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि छात्र निधियों से सावधि जमा योजनाओं में निवेशित राशि व अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 निर्धारित अवधि के पश्चात परिपक्वता तिथि पर निवेशित राशि पर ₹135620/— का कम ब्याज दिये जाने बारेः—

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा निवेशित राशियों पर अर्जित किए गए ब्याज की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार विभिन्न बैंकों द्वारा निवेशित राशियों पर निर्धारित अवधि के पश्चात परिपक्वता की तिथि पर ₹135620/— का कम ब्याज दिया गया है। अतः इस प्रकरण का पुनः अवलोकन करते हुये कम दिये गये ब्याज का मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	Name of bank	F.D.R. No.	Principal Amount	Date of investment	Period	Maturity Value due	Maturity value period	Less int. given
1	SBI	668142	3499890	4.4.11	One Year	3792109	3762886	29223
2	SBI	-do-	3993790	4.4.12	One Year	4333612	4333034	578
3	SBI	-do-	4333834	4.4.12	Two year	5202615	511027	92588
4	SBI	668143	627329	30.3.12	Two year	753225	739994	13231
							Total	**₹135620**

7 **महाविद्यालय द्वारा माँग व वसूली रजिस्टर का अनुरक्षण न करने बारेः–**

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2010 से 3/2014 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा माँग व वसूली रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि प्रत्येक छात्र से शैक्षणिक सत्र के दौरान देय फीस व निधि राशि की वसूली महाविद्यालय द्वारा कर ली गई है अथवा नहीं? अंकेक्षण द्वारा महाविद्यालय को इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या ए0सी0 आडिट एल0ए0डी0 (फिन) 375 दिनाँक 18.6.2014 द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक महाविद्यालय द्वारा उक्त रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अभिलेख का अनुरक्षण करके इसे आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र से शैक्षणिक सत्र की देय फीस व निधि राशि की पूर्ण वसूली कर ली गई है।

8 **रसीदों द्वारा प्राप्त आय की ₹39431/– को निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज न करने बारेः–**

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2010 से 3/2014 के अंकेक्षण के दौरान आय से सम्बन्धित रसीदों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित रसीदों द्वारा छात्रों से वसूल की गई फीस एवं निधि की राशि को निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा महाविद्यालय को अंकेक्षण अधियाचना संख्या ए0सी0 आडिट एल0ए0डी0 (फिन) 381 दिनाँक 30.6.2014 द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अवगत करवाया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक महाविद्यालय द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः उपरोक्त कार्रवाई के अभाव में रसीदों द्वारा प्राप्त राशि की सही जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में समुचित कार्रवाई अमल में लाते हुये इन रसीदों द्वारा प्राप्त राशियों को निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज करके तथा अपेक्षित राशि को सम्बन्धित बैंकों में जमा करवाकर अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

वर्ष 2010–2011

क्र0सं0	दिनाँक	रसीद नं0	नाम	कक्षा	रोलनं0	राशि	टिप्पणी
1	16.6.2010	000048	पूनम	B.A. 1st	–	1126	रसीद राशि निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं
2	17.6.2010	000104	स्मृति शर्मा	Bsc 1st	–	1846	निधि संग्रह रजिस्टर में

							₹1786 दर्ज किये गये है
3	18.6.10	000162	मधु कुमारी	Bsc 1st	11509	1786	रसीद निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई
4	18.6.2010	000164	नेहा शर्मा	Bsc IInd	12510	1666	–यथोपरि–
5	18.6.10	000170	डिम्पल कुमारी	Bsc Ist	11510	1786	–यथोपरि–
6	18.6.10	000173	अजय कुमार	BA IInal	53001	1306	–यथोपरि–
7	19.6.10	000192	मनोज कुमार	B.Com Ist	41021	1606	–यथोपरि–
8	19.6.10	000453	पूजा कुमारी	Bsc IInd	12516	1666	–यथोपरि–
9	19.6.10	000465	प्रदीप कुमार	BA IInd	52014	1306	–यथोपरि–
10	23.6.10	000564	अर्चना देवी	B.Com Ist	42504	1016	–यथोपरि–
					योग	**₹15110**	
11	25.6.10	000779	दिनेश कुमार	B.Com Ist	41070	1436	रसीद निधि संग्रह रजिस्अर में दर्ज नहीं है
12	29.6.10	000987	नीलम कुमारी	BA IInd	52659	1196	–यथोपरि–
13	29.6.10	000991	रवि कुमार	BA Ist	51055	1436	–यथोपरि–
14	30.6.10	001270	प्रवीण कुमार	BSc IInd	12025	1976	–यथोपरि–
15	330.6.10	001286	विनोद कुमार	BSC IInd	23005	2036	–यथोपरि–
16	30.6.10	001319	ज्योति वर्मा	BSC IInd	22518	1736	–यथोपरि–

17	16.7.10	001384	विक्रान्त वर्मा	BA IInd	52088	1316	–यथोपरि–
18	17.7.10	001394	मनदीप कुमार	BA Ist	51078	1436	–यथोपरि–
19	17.7.10	001402	धीरज कुमार	BA Ist	51084	1616	–यथोपरि–
20	17.7.10	001404	रीमा देवी	BA Ist	51681	1136	–यथोपरि–
21	17.7.10	001405	नवीन कुमार	BA Ist	51086	1436	–यथोपरि–
22	17.7.10	001407	विपन कुमार	BA Ist	51083	1616	–यथोपरि–
23	23.6.10	00628	–	–	–	–	(1)–यथोपरि– (2) रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई
24	24.6.10	00699	–	–	–	–	–यथोपरि–
					योग	**₹18372**	
		वर्ष 2011–12					
1	10.6.11	000268	–	–	–	–	(1) रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई (2) रसीद निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं है
2	15.6.11	00805	बंदना कुमारी	BSc IInd	12529	1706	रसीद निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं है
3	20.6.11	001333	–	–	–	–	(1) रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई (2) रसीद

							निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं
4	20.6.11	01336	–	–	–	–	–यथोपरि–
5	20.6.11	01546	–	–	–	–	–यथोपरि–
6	20.6.11	01555	आदित्य ठाकुर	B.A. Ist	51100	1686	रसीद निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
7	30.6.11	01771	–	–	–	–	(1) रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई (2) रसीद निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं है
8	30.6.11	01782	–	–	–	–	–यथोपरि–
					योग	**₹3392**	
			वर्ष 2012–13				
1	25.4.12	15201 से 15300	–	–	–	–	(1) रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई (2) रसीदें माँग व संग्रह निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं है
2	20.6.2012	002260	विशाल शर्मा	B.Com Ist	41023	1416	रसीद निधि संग्रह रजिस्अर में दर्ज नहीं है।
3	20.6.12	00625	–	–	–	–	(1) रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई
							(2) रसीद निधि संग्रह

							रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई
4	20.6.12	002319	—	—	—	—	—यथोपरि—
5	20.6.12	002577	—	—	—	—	—यथोपरि—
6	20.6.12	002606	—	—	—	—	—यथोपरि—
					योग	**₹1416**	
		वर्ष 2013—14					
1	7.5.13	2501 से 2600	—	—	—	—	(1) रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई (2) रसीदें निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई
2	7.10.13	001554	रीनू कुमारी	B.A. Ist	51677	1141	रसीद निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई है
					योग	**₹1141**	
	वर्ष 2010—11 से 2013—14 तक कुल योग					**₹39431**	

9 निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज फीस के रूप में प्राप्त आय की राशि में से सरकारी कोष में ₹16281/— का कम जमा करवाया जाना:—

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के अवधि 4/2010 से 3/2014 के निधि संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित फीस की राशियों को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया है। अतः महाविद्यालय द्वारा छात्रों से वसूल की गई फीस की ₹16281 को सरकारी कोष में जमा न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उक्त राशि को तुरन्त सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	दिनाँक	रसीद संख्या/ अवधि	फीस का नाम/प्राप्त राशि	सरकारी कोष में जमा राशि	कम जमा राशि
1	18.11.10	2818 से 3233	AD.fees, L.Ad. fees T.fees 240+209+44100=44549		
	19.11.10	3234 से 3477	Ad. fees, T. fees 200+33600=33800		
			44549+33800=78349	78140	209
2	22.11.10	3692 से 3909	L.A. fees, T. fees 16+20400=20416	20400	16
3	26.11.10	3910 से 3964	Ad. fees, T. fees 325+8100=8425	—	8425
4	25.7.11 से 3.8.11	1940 से 2061	Ad. fees. Late Ad. fees T. fees 3600+52+5700=9352	9325	27
5	15.11.11 से 8.12.11	3923 से 4083	T. fees, Ad. Fees, Late Ad. Fees 12900+1250+1540=15690	13275	2415
6	11.8.11 से 19.9.11	2224 से 2361	Ad. Fees, Late A.fees T. fees 4257+525+300=5082	4825	257
7	13.6.12	6/12	A.D. fees, Late A. fees T. fees 200+50+300=550	500	50
8	23.11.13	3740 से 3805	T. fes 600	—	600
9	25.11.13	3806 से 3831	T. fees 300	—	300
10	26.11.13	3832 से 3853	T. fees 900	—	900
11	27.11.13	3854 से 3864	T. fees 600	—	600
12	22.11.13	3695 से 3739	T. fees 2400	—	2400
13	30.8.13 से 12.9.13	8/2013	L.A. fees, T. fees, Ad. fees 82+600+1600=2282	2200	82
			कुल कम जमा राशि		**₹16281**

10 श्रीमती गीता दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी को समिश्रित निधि से ₹69700/– का भुगतान करने बारेः–

यूनिवर्सिटी अध्यादेश चैप्टर XLII के नियम 4.2.2 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार समिश्रित निधि से माली (Gardner), पुस्तकालय चपड़ासी (Library Peon), खेल चपड़ासी (Sports Peon) का वेतन मान्य है परन्तु महाविद्यालय द्वारा श्रीमती गीता देवी दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी को माह 12/11 से निम्नविवरणानुसार वेतन/मजदूरी का भुगतान समिश्रित निधि से किया जा रहा है जोकि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अंकेक्षण में चर्चा के दौरान बताया गया कि महाविद्यालय में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु यह भुगतान किया जाना अत्यन्त आवश्यक था। अतः माह 12/11 से 3/14 के दौरान समिश्रित निधि से निम्नविवरणानुसार किए गए दैनिक भोगी कर्मचारी की मजदूरी के भुगतान पर व्यय की राशि को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	भुगतान की राशि
12/11	1800
1/12	3120
2/12	360
3/12	2760
4/12	3000
5/12	2760
6/12	–
7/12	1820
8/12	2990
9/12	3120
10/12	2860
11/12	2210
12/12	2210
1/13	3250
2/13	520
2/13	2990
4/13	3120

5/13	3120
6/13	1170
7/13	2210
8/13	3380
9/13	3250
10/13	3250
11/13	3120
12/13	3250
1/14	3250
2/14	1950
3/14	2860
योग	**₹69700**

11 समिश्रित निधि से कार्यालय के बिजली के बिलों व टेलीफोन बिलो के भुगतान ₹312047/– का ऋण दिए जाने बारेः–

जाँच के दौरान यह पाया गया कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा निम्नविवरणानुसार कार्यालय के बिजली के बिलों व टेलीफोन बिलों की अदायगी हेतु समिश्रित निधि से ऋण के रूप में ₹312047/– प्रदान की गई जोकि समिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः ऋण की इस राशि को उचित स्त्रोत से वहन करके समिश्रित निधि में जमा करवाया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	दिनाँक	राशि
1	12/10	19.4.10	9666
2	87/10	20.9.10	10381
3	213/12	22.12.112	422
4	248/12	26.02.13	422
5	32/13	19.7.13	29871
6	45/13	17.8.13	27229
7	90/13	17.9.13	40832
8	91/13	18.9.13	1098
9	138/13	24.10.13	31957
10	146/13	28.11.13	31715

11	152 / 13	23.12.13	28368
12	166 / 13	21.1.14	48877
13	179 / 13	25.2.14	22935
14	180 / 13	26.2.14	703
15	207 / 13	26.3.14	27571
		योग	**₹312047**

12 समिश्रित निधि से अनाधिकृत रूप से ₹425000 का ऋण दिया जाना तथा ऋण की राशि को विलम्ब से वसूलनाः—

जाँच के दौरान यह पाया गया कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा महाविद्यालय में सैल्फ फाईनेन्सिंग कोर्स (Self Financing Course Biotechnology) को चलाने हेतु दिनाँक 2.5.11 को समिश्रित निधि ₹425000 / — ऋण के रूप में सम्बन्धित विभाग को दी गई जबकि यूनिवर्सिटी अध्यादेश के अनुसार ऐसे ऋण प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। महाविद्यालय द्वारा माह 26.10.2012 को चैक संख्या 161956 के अन्तर्गत उक्त ऋण की वापिस समिश्रित निधि में प्राप्त की गई है। इस सन्दर्भ में जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि (Self Financing Course Biotechnology) से सम्बन्धित बचत संख्या 3129527801 में उक्त निधि में पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद भी ऋण की राशि को विलम्ब से समिश्रित निधि को वापिस किया गया था। अतः नियमों में प्रावधान न होने पर भी समिश्रित निधि से ऋण देने तथा उक्त ऋण की राशि को विलम्ब से मिश्रित निधि से जमा करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

13 आपूर्ति आदेशों में वर्णित व निर्धारित कीमतों के विपरीत महाविद्यालय द्वारा फर्नीचर फैक्टरी बिलासपुर से 40 फुट लम्बे कानफ्रेन्स टेबल के स्थान पर 38 फुट लम्बे टेबल प्राप्त करने के परिणामस्वरूप किये गये अधिक भुगतान के बारे मेंः—

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा आपूर्ति आदेश संख्या ई0डी0एन0—जी0पी0डी0सी0 बिलासपुर स्टोर / 20 दिनाँक 9.5.2012 द्वारा फर्नीचर फैक्टरी बिलासपुर (सरकारी उपक्रम) से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा इनवाईस (Performa Invoice) में वर्णित दरों के अनुसार 40 फुट लम्बे एक कान्फ्रेन्स टेबल (मेक ऑफ 19 एमएम बोर्ड, 6 एमएम Ply, 4mm टीक Ply व 1mm बीडिंग थीक माईका (Thick Mica) बनाने हेतु ₹132000 / — का भुगतान किया गया। महाविद्यालय द्वारा यह कान्फ्रेन्स टेबल नये भवन के कान्फ्रेन्स हॉल में लगाने हेतु बनवाए गए। जाँच के दौरान पाया गया वाऊचर संख्या 172 माह 11 / 12 के साथ संलग्न सम्बन्धित बिल संख्या 3808 दिनाँक 1.9.2012 के अनुसार फर्नीचर फैक्टरी बिलासपुर द्वारा महाविद्यालय को 40 फुट टेबल के स्थान पर 38 फुट लम्बा कान्फ्रेस टेबल बनाकर दिया

गया जबकि उनके द्वारा 40 फुट लम्बे कॉनफ्रेन्स टेबल की कीमत ₹132000/– वसूल की गई जोकि अनियमित है तथा इस प्रकार महाविद्यालय द्वारा उक्त उपक्रम को कॉनफ्रेन्स टेबल हेतु अधिक भुगतान किया गया है। अतः उपरोक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 स्टॉक प्रभार सौंपते समय 8 नं0 सितार म्यूजीकल इन्स्ट्रूमैन्ट कम दर्शाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान म्यूजीकल इन्स्ट्रूमैन्ट के स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर संख्या 4 के पेज नं0 2 पर दिनाँक 31.12.13 को सितार म्यूजीकल वादन की कुल संख्या 28 थी जबकि दिनाँक 30.12.13 को श्री जय राम शर्मा एसोसियेट प्रोफेसर द्वारा स्टॉक का प्रभार श्रीमती अरूणा भारद्वाज को सौंपते बार Charge List में सितारों की संख्या केवल 20 ही दर्शाई गई है अर्थात 8 नं0 सितारे कम दर्शाए गए है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या ए0सी0 आडिट–380 दिनाँक 19.6.14 द्वारा प्रचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के ध्यानार्थ भी लाया गया है। इस सन्दर्भ में चर्चा के दौरान वर्तमान प्रभारी श्रीमती अरूणा भारद्वाज द्वारा अंकेक्षण को यह बताया गया कि उन्होनें भी यह मामला प्राचार्य महोदय के ध्यानार्थ भी लाया है तथा प्रचार्य महाविद्यालय द्वारा यह बताया गया कि स्टॉक में पड़े हर प्रकार के म्यूजीकल इन्डस्ट्रमैन्ट का वास्तविक सत्यापन करवाया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की कमी की सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से नियमों के अन्तर्गत वसूली की जाएगी। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि इस सन्दर्भ अपेक्षित कार्रवाई करने के उपरान्त वस्तुस्थिति से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 खेलों के सामान की खरीद पर ₹1144/– का अधिक भुगतान करने बारेः–

महाविद्यालय द्वारा वाऊचर संख्या 54/2010 के अन्तर्गत मैसर्ज राजेन्द्र ट्रेडर्ज को उनके बिल संख्या 1409 दिनाँक 26.8.2010 के एवज में विभिन्न खेलों के सामान की खरीद पर ₹40782/– का भुगतान किया गया। जाँच के दौरान पाया गया कि (Knee Cap Anket) की न्यूनतम दर प्रति मद ₹22..80 थी परन्तु उक्त फर्म से प्रति मद की खरीद पर ₹22..80 के स्थान पर ₹80 की दर से खरीदने पर ₹57.20 प्रति एन्कलेट दर से कुल (20x57.20=₹1144) का अधिक भुगतान किया गया। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त ₹1144/– रसीद संख्या 5804 दिनाँक 20.6.14 द्वारा वसूल करके समिश्रित निधि में जमा करवा दी गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक जाँच को सुदृढ़ करते हुये एसी चूक से परिहार किया जाए।

16 अग्रिम रजिस्टर का सही ढ़ंग से रख रखाव न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार अग्रिम राशियों का भुगतान किया गया था परन्तु अग्रिम के रख–रखाव हेतु अग्रिम रजिस्टर का सही ढ़ंग से अनुरक्षण नहीं किया गया था जिसके अभाव में अग्रिम राशियो के समायोजन की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि अग्रिम रजिस्टर का अनुरक्षण करके महाविद्यालय द्वारा दिये गये समस्त अग्रिमों को अग्रिम रजिस्टर में दर्ज किया जाये तथा तदानुसार उनके समायोजन करके इसकी पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

क्र0सं0	वा0सं0	राशि	प्रयोजन
1	15 माह 2/14	5000	बोयोटैक्नॉलजी के निरीक्षण हेतु
2	133 माह 2/11	12000	श्रीमती मीना वर्मा को यूथ फेस्टिवल हेतु
3	–यथोपरि–	18000	–यथोपरि–
4	134 माह 2/12	3800	–यथोपरि–
5	212 माह 2/13	2000	स्टेशनरी हेतु
6	77 माह 9/13	17680	यूथ फेस्टिवल हेतु
7	3 माह 3/14	2950	स्टेशनरी की खरीद हेतु

17 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय में स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापन करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान का नियमित रूप से प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

18 अखबारों की रद्दी की नीलामी से प्राप्त आय की ₹7609/– को जमा न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्नानुसार अखबारो की रद्दी की नीलामी से अन्य प्राप्त की गई थी जोकि अंकेक्षण अवधि तक जमा नहीं की गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या स0नि0 आडिट (एल0ए0डी0) (वित्त)–381 दिनाँक 30.6.14

द्वारा मामला प्राचार्य के ध्यानार्थ लाने के पश्चात ₹7609/– को समिश्रित निधि के बचत खाता संख्या 110723028089 में दिनाँक 3.7.14 को जमा किया गया। अतः भविष्य में अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि आन्तरिक जाँच को करते हुये ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति को रोका जाए।

क्र0सं0	**दिनाँक**	**रसीद संख्या**	**शिक्षा सत्र**	**प्राप्त राशि**
1	25.4.12	15292	11–12	2352
2	7.5.13	2562	12–13	2562
3	21.5.14	2695	13–14	2695
			योग	**₹7609**

19 **लघु आपति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

20 **निष्कर्षः–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है। महाविद्यालय द्वारा वर्षों से लम्बित अंकेक्षण पैरों पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः महाविद्यालय द्वारा छात्र निधि लेखों से सम्बन्धित लेखों के उचित रख–रखाव के साथ–साथ लम्बित अंकेक्षण पैरों पर उचित कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xi(xii)3/78–खण्ड–5–7614–7617 दिनांक 17.12.2014. शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह क भीतर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

2 निदेशक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171001

3 उप सचिव (उच्च शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

4 श्री तारा चन्द महन्त, सहायक नियन्त्रक द्वारा.........................

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

परिशिष्ट "A" पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/83

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 5(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(4)(ए)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(4)(बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(4)(सी)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(4)(डी)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(5)(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(5)(2)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(5)(3)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(4) से (7)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(8)(1) से (11)	अनिर्णीत
14	पैरा 5(8)(xii)	अनिर्णीत
15	पैरा 5(8)(xiii)	अनिर्णीत
16	पैरा 5(8)(xiv)	अनिर्णीत
17	पैरा 5(8)(xv)	अनिर्णीत
18	पैरा 5(8)(31) 2 से 4	अनिर्णीत
19	पैरा 5(8)(32)	अनिर्णीत
20	पैरा 5(8)(42) से (50)	अनिर्णीत
21	पैरा 5(8)(51) से (85) (1) से (3)	अनिर्णीत
22	पैरा 5(8)(86)	अनिर्णीत
23	पैरा 5(8)(88)(1) से (3)	अनिर्णीत
24	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
25	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत

26	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
27	पैरा 9(a)(b)(c)	अनिर्णीत
28	पैरा 10	अनिर्णीत
29	पैरा 11	अनिर्णीत
30	पैरा 12	अनिर्णीत
31	पैरा 13 से 16	अनिर्णीत
32	पैरा 14	अनिर्णीत
33	पैरा 15	अनिर्णीत
34	पैरा 16	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/84

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अंशतः निर्णीत (कार्रवाई शेष है)
3	पैरा 9(1) से 9(4)	अनिर्णीत
4	पैरा 15(1) से (4)	अनिर्णीत
5	पैरा 16	अनिर्णीत
6	पैरा 17(1) से (3)	अनिर्णीत
7	पैरा 18(1) से (3)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(डी)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(डी)(i)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(डी)(iv)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(डी)(vi)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(डी)(ix)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(डी)(x)	अनिर्णीत
9	पैरा 8	अनिर्णीत
10	पैरा 9	अनिर्णीत
11	पैरा 10	अनिर्णीत
12	पैरा 11	अनिर्णीत
13	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत

14	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
15	पैरा 14	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/95

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 7	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10	अनिर्णीत
9	पैरा 12	अनिर्णीत
10	पैरा 13(क) से (ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 14	अनिर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 16	अनिर्णीत
14	पैरा 17(क) (1) से (5)	अनिर्णीत
15	पैरा 17(ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ण), (ट), (ठ), (ड), (ढ), (ञ), (प), (व), (भ) (1) (2), (य), (र), (ल), (व), (ष), (स), (त्र), (ज्ञ)	अनिर्णीत
16	पैरा 18	अनिर्णीत
17	पैरा 19	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/99

1	पैरा 4(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(ख) (1) से (6)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(1) से (3)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(क) से (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(क)(2), 7(ख) से (ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(क)(1) से (2)	अनिर्णीत

7	पैरा 8(ख)(1) से (9)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(1) से (3)	अनिर्णीत
9	पैरा 10	अनिर्णीत
10	पैरा 11(क)(1) से (3)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(ख)(1) से (3)	अनिर्णीत
12	पैरा 12(1) से (10)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/01

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ख)(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(ख)(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(ग)(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(ज)(1) से (4)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(झ)(1) से (4)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(ण)	अनिर्णीत
12	पैरा 6	अनिर्णीत
13	पैरा 7	अनिर्णीत
14	पैरा 9(1) से (3)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/01 से 3/02

1	पैरा 5(ख)(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा–8 (क) से (घ)	अनिर्णीत

नोटः– उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि महाविद्यालय में उपलब्ध न होने के कारण इस पर कोई कार्रवाई सम्भव नहीं हो सकी।

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/03 से 3/06

1	पैरा 5(क)(10)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(क)(11)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(क)(15)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(क)(16)	अनिर्णीत	
5	पैरा 9(3)	अनिर्णीत	
6	पैरा 9(6)	अनिर्णीत	
7	पैरा 10(2)	अनिर्णीत	
8	पैरा 10(ख)(ग)	अनिर्णीत	
9	पैरा 11(1) से (7)	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/06 से 3/08

1	पैरा 7(8)	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/08 से 3/10

1	पैरा 3	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
2	पैरा 4	निर्णीत	
3	पैरा 5	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
4	पैरा 5 (2) (3) (4)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6 (1) (2)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत	
7	पैरा 7	निर्णीत	
8	पैरा 8	निर्णीत	(सम्बन्धित निधियों की राशियों को संस्था द्वारा एस0बी0आई0 के बचत खाता संख्या 62339 तथा एस0बी0आई0 बचत के खाता संख्या 70252 में दिनाँक 4.6.10 को दर्शा दिया गया है)
9	पैरा 9	निर्णीत	(सम्बन्धित रोकड़ व चालानों का पुनः अवलोकन किया गया)

10	पैरा 10 (1)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत किया गया है)
11	पैरा 10 (2)	निर्णीत	
12	पैरा 11	अनिर्णीत	
13	पैरा 12	अनिर्णीत	
14	पैरा 13 (1)	निर्णीत	
15	पैरा 13 (2)	निर्णीत	(₹375 की वसूली रसीद संख्या 001100 दिनाँक 20.4.2010 के अन्तर्गत कर ली गई है)
16	पैरा 14 (क)	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई)
17	पैरा 14 (ख)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई कर ली गई है)
18	पैरा 14 (ग)	अनिर्णीत	
19	पैरा 15	अनिर्णीत	
20	पैरा 16 (1)	अनिर्णीत	
21	पैरा 16 (2)	अनिर्णीत	
22	पैरा 17	निर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे	140
वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+) 16
वर्ष अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	(–) 14
अन्तशेष (दिनाँक 31.3.14 तक)	142